टेक- होम (घर लेकर जाना) के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

Government of South Australia
Department for Education

Hindi / हिन्दी

स्कूल द्वारा टेक- होम का उपयोग 'व्यवहार संबंधी आपातकालीन परिस्थितियों' पर प्रतिक्रिया करने के लिए किया जाता है।

'व्यवहार संबंधी आपातकालीन परिस्थिति' तब होती है जब:

- छात्र का व्यवहार खुद के लिए या दूसरों के लिए खतरा पैदा करता है
- छात्र को स्कूल में सुरक्षित रूप से समर्थन नहीं दिया जा सकता है।

प्रिंसिपल द्वारा यह निर्णय लिया जा सकता है कि आपकी संतान को आपके या उसके देखभालकर्ता के साथ स्कूल के बाकी के बचे हुए दिन के लिए घर जाने की आवश्यकता है।

यदि आपकी संतान को टेक-होम का आदेश दिया जाता है तो क्या करें?

आपकी संतान के लिए टेक-होम के कारण को समझाने और संपूर्ण घटना की जानकारी को साझा करने के लिए स्कूल आपसे संपर्क करेगा।

यदि आप उपलब्ध नहीं हैं, तो स्कूल आपकी संतान को लेकर जाने के लिए सभी सूचीबद्ध आपातकालीन संपर्कों से संपर्क करने का प्रयास करेगा।

शांत रहें और संपूर्ण घटना के बारे में अपनी संतान से बातचीत करें। स्कूल से बातचीत करें और एक साथ मिलकर योजना बनायें।

प्रिंसिपल द्वारा टेक-होम का उपयोग करने के कारण

अधिकत्तर छात्र सुरक्षित व्यवहार करते हैं लेकिन कभी-कभार:

- उनके पास सुरक्षित रहने के लिए आवश्यक कौशल नहीं होता है
- अभी भी संचार संबंधी, भावनात्मक या सामाजिक कौशल सीख रहे होते हैं
- परेशान, तनावग्रस्त या अस्वस्थ महसूस करने के कारण अपने कौशल का उपयोग नहीं कर सकते हैं
- अपनी जरूरतों को कुछ इस तरह से पूरा करने का प्रयास करते हैं जिससे उन्हें या अन्य लोगों को नुकसान पहुँच सकता है।

प्रिंसिपल द्वारा 'व्यवहार संबंधी आपातकालीन परिस्थिति' में टेक-होम उपयोग करने की आवश्यकता तब हो सकती है जब:

- किसी छात्र का व्यवहार असुरक्षित, गंभीर और बहुत लंबे समय तक चलने वाला होता है
- छात्र को समर्थन देने के लिए उचित प्रयास किए गए हैं लेकिन वे असफल रहें हैं
- छात्र स्कूल में सुरक्षित रूप से रहने के लिए बहुत ज्यादा क्रोधित, परेशान या चिंतित रहता है।

संपूर्ण घटना की जानकारी एकत्रित करना

स्कूल आपकी संतान से संपूर्ण घटना के बारे में जानने का प्रयास करेगा। यदि आपकी संतान बात करने से घबराती है, तो स्कूल द्वारा अन्य लोगों से ली गई जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। वे संपूर्ण घटना के बारे में जानकारी एकत्रित करते रहेंगे और भविष्य में भी आपकी संतान का समर्थन करेंगे।

टेक-होम के बाद रिकनेक्शन (पुनर्संयोजन)

आपकी संतान को अगले दिन नवीन शुरुआत मिलती है। पढ़ाई में आपकी संतान की वापसी में मदद के लिए स्कूल आपसे एक योजना के बारे में बातचीत करेगा।

टेक-होम आदेश का बार-बार मिलना

यदि आपकी संतान के साथ 'व्यवहार संबंधी आपातकालीन परिस्थितियाँ' अक्सर घटित होती हैं, तो स्कूल रिकनेक्शन मीटिंग की व्यवस्था करेगा ताकि:

- आपकी संतान की ज़रूरतों को देखा जाए
- मदद योग्य समर्थनों के बारे में बातचीत की जाए
- व्यवहार समर्थन योजना को विकसित या अपडेट किया जाए।

टेक- होम (घर लेकर जाना) के बारे में माता-पिता और देखभालकर्ताओं के लिए जानकारी

व्यवहार समर्थन योजना

व्यवहार समर्थन योजना आपकी संतान के सुरक्षित और सकारात्मक व्यवहार में सहायता देने के लिए विकसित की गई है। योजना में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- आपकी संतान के सुरक्षित और सकारात्मक व्यवहार के लिए आवश्यक कौशल
- आपकी संतान ये कौशल कैसे सीखेगी और इसमें उनकी मदद कौन करेगा
- जब आपकी संतान इस कौशल को सीख रही है और इसका अभ्यास कर रही है तो उस समय चीजें सुरक्षित और सकारात्मक कैसे हो सकती हैं
- आपकी संतान की प्रगति के बारे में सभी को कैसे पता चलेगा
- यदि भविष्य में आपकी संतान के व्यवहार को लेकर कोई चिंता हो तो उसका समर्थन कैसे किया जाएगा
- सभी की भूमिकाएँ।

यदि आपके बच्चे के पास पहले से ही वन प्लान (One Plan) है, तो उनकी व्यवहार समर्थन योजना को वन प्लान में शामिल किया जा सकता है।

यदि आप प्रिंसिपल द्वारा आपकी संतान को टेक-होम आदेश दिए जाने के निर्णय से अप्रसन्न हैं

यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी संतान को टेक-होम आदेश दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी, तो अपनी संतान के स्कूल के साथ मामला सुलझाने का प्रयास करें। यदि आप स्कूल के साथ इस मामले को सुलझा नहीं सकते/सकती हैं, तो आप शिक्षा विभाग की ग्राहक फीडबैक यूनिट (Department for Education Customer Feedback Unit) में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं:

- फ़ोन 1800 677 435 (टोल फ्री)।
- https://www.education.sa.gov.au/ पर जाएं और School complaints या Support making a complaint की सर्च करें।

आप टेक-होम प्रक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी निम्नलिखित द्वारा प्राप्त कर सकते/सकती हैं:

- प्रिंसिपल या किसी अन्य स्कूल लीडर के साथ अपॉइंटमेंट लेकर
- अपने स्थानीय शिक्षा कार्यालय से संपर्क करके
- शिक्षा विभाग को 82261000 पर फ़ोन करके
- शिक्षा विभाग की वेबसाइट https://www.education.sa.gov.au/ पर ‘ take-home ‘ की सर्च करके।